

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2017 (प्रक्षिप्त) में 0.72 करोड़ हो गई, जिसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11 प्रतिशत रही, जो अखिल भारतीय औसत (22 प्रतिशत) से कम थी। राज्य में विगत दशक में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ की मिश्रित विकास दर 2007-08 से 2016-17 की अवधि में 15.53 प्रतिशत (परिशिष्ट 1) रही।

चालू मूल्यों पर 2015-16 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1,24,570 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 82.80 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,47,277² रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में इंगित की गई हैं।

तालिका 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद/हिमाचल प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का सकल राज्य उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,51,344	112,72,764	124,88,205	135,76,086	151,83,709
सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.91	13.28	10.78	8.71	11.84
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	13.16	15.15	9.93	9.11	9.59

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016-17 के दौरान ₹ 1,24,570 करोड़ पर एवं इसकी विकास दर 9.59 प्रतिशत, चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) के अनुमान (क्रमशः ₹ 1,36,914 करोड़ व 13.79 प्रतिशत) से कम रही।

टिप्पणी: भारत सरकार द्वारा उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एक्सपोर्ट्स योजना) योजना की शुरूआत राज्य ऊर्जा वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन दक्षता में सुधार हेतु नवम्बर 2015 में की गयी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किये गये ऋण को इस अध्याय में राजकोषीय मापदंडों की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है। आवश्यक टिप्पणियाँ उपयुक्त स्थानों पर की गयी हैं।

¹ परिशिष्ट-4 में शब्दावली का संदर्भ लें।

² अग्रिम आंकड़ा

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2015-16) की तुलना में चालू वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि परिशिष्ट 1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	23,440	26,264	राजस्व व्यय	22,303	20,824	4,520	25,344
कर राजस्व	6,696 (29)	7,039(27)	सामान्य सेवाएं	8,788	9,644	84	9,728
कर-भिन्न राजस्व	1,837 (8)	1,717(6)	सामाजिक सेवाएं	7,980	7,201	2,409	9,610
संघीय करों/शुल्कों का भाग	3,611 (15)	4,344(17)	आर्थिक सेवाएं	5,525	3,970	2,026	5,996
भारत सरकार से अनुदान	11,296(48)	13,164(50)	सहायता अनुदान व अंशदान	10	10	शून्य	10
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	शून्य	पूंजीगत परिव्यय	2,864	384	3,115	3,499
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	26	30	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	463			3,290 *
लोक ऋण प्राप्तियां	6,129	8,603 *	लोक ऋण की चुकौती	3,948			3,943
आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य	आकस्मिकता निधि	शून्य			शून्य
लोक लेखा प्राप्तियां [#]	11,515	13,630	लोक लेखा संवितरण [#]	10,577			12,351
अथ रोकड़ शेष	(-)739	216	अन्तिम रोकड़ शेष	216			316
योग	40,371	48,743	योग	40,371			48,743

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती हैं।

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के शुद्ध आंकड़े राज्य संसाधनों के विश्लेषणार्थ लिए गए हैं।

* इसमें उदय स्कीम के ₹2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

राजस्व प्राप्तियां	₹ 2,824 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि केन्द्रीय अन्तरणों अर्थात् सहायता अनुदान (₹ 1,868 करोड़) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 733 करोड़) के कारण थी।
राजस्व व्यय	₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ गया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय तथा योजनागत राजस्व व्यय में यह वृद्धि क्रमशः ₹ 2,014 करोड़ तथा ₹ 1,027 करोड़ थी।
राजस्व अधिशेष	राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 217 करोड़ घटकर 2016-17 में ₹ 920 करोड़ रहा।
पूंजीगत व्यय	₹ 635 करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया।
लोक ऋण प्राप्तियां	प्राप्तियां ₹ 2,474 करोड़ (40 प्रतिशत) बढ़ गईं एवं इसका भुगतान ₹ 5 करोड़ (0.13 प्रतिशत) घट गया।
लोक लेखा प्राप्तियां	प्राप्तियां एवं संवितरण दोनों ही क्रमशः ₹ 2,115 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं ₹ 1,774 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़ गये।
अन्तिम नकद शेष	गत वर्ष ₹ 216 करोड़ से ₹ 100 करोड़ बढ़कर 2016-17 के अन्त में ₹ 316 करोड़ हो गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय घटकों पर राज्य सरकार का निष्पादन तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय घटक

राजकोषीय घटक	2016-17					
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/चौ.वि.आ. में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम.टी.एफ.पी.एस.# में प्रस्तावित/ प्रक्षिप्त लक्ष्य	वास्तविक आंकड़े		वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन (बिना उदय स्कीम के)	
			बिना उदय स्कीम	उदय स्कीम सहित	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/चौ.वि.आ. के लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0# में प्रस्तावित /प्रक्षिप्त लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (करोड़ में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	(-) 475.62	920	920	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	(-) 3.00 या कम	(-) 3.17	(-) 2.37	(-) 4.69	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात (प्रतिशत में)	34.13	32.82	35.61	37.93	(-) 1.48	(-) 2.79

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

#मीडियम टर्म फिस्कल प्लान स्टेटमेंट


*इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।

- चौदहवें वित्त आयोग में उल्लिखित राजस्व अधिशेष को बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 920 करोड़ रहा।
- राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग व एफ0आर0बी0एम0/एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित लक्ष्य (3 प्रतिशत या कम) के प्रति उदय³ स्कीम के प्रभाव को छोड़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 था तथा उदय स्कीम को मिलाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.69 प्रतिशत था।
- कुल बकाया ऋण उदय स्कीम को छोड़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 35.61 प्रतिशत था तथा उदय स्कीम को मिलाकर 37.93 प्रतिशत था जो कि दोनों स्थितियों में चौदहवें वित्त आयोग व एफ0आर0बी0एम0/एम0टी0एफ0पी0एस0 के अनुमान से अधिक था।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2016-17 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गये हैं:

³ उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एयोरेंस योजना) स्कीम को भारत सरकार ने राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के वित्तीय एवं परिचालन दक्षता को उन्नत करने के लिए नवम्बर 2015 में आरम्भ किया। इस स्कीम के तहत राज्य द्वारा वहन किया गया ऋण वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में राज्य के राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए पैराग्राफ 1.8.2.1 देखें।



स्रोत: एम.टी.एफ.पी.एस. (मार्च 2016) तथा वित्त लेखा 2016-17


जैसा कि **चार्ट 1.1** से देखा जा सकता है कि अनेक मापदंडों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में बहुत भिन्नताएं थी। इससे प्रश्न उठता है कि बजट प्राक्कलन अवास्तविक था और यह बेहतर सूचना तथा राजस्व की वसूली प्रवृत्तियों पर आधारित होनी चाहिए।

1.1.4 लिंग बजटीकरण

वर्ष 2013 में महिला तथा बाल विकास विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत की आवंटन सीमा तक 20 स्कीमें तथा 43 स्कीमें आंशिक आवंटन की थीं, जिनके अन्तर्गत परिव्यय किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में उल्लेख किया गया है। इन स्कीमों में ₹ 1,072.71 करोड़ के कुल परिव्यय के सापेक्ष वर्ष 2016-17 के अन्त तक ₹ 897.26 करोड़ की राशि खर्च की गयी थी तथा ₹ 175.45 करोड़ का अव्ययित शेष विभाग के पास पड़ा था।

1.2 राज्य के संसाधन


चार्ट 1.2: 2016-17 के दौरान प्राप्तियों के घटकों तथा उपघटकों को दर्शाता है।



1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

प्राप्तियों के राजस्व तथा पूँजीगत दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ, कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। पूँजीगत प्राप्तियाँ, विनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखे में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तालिका 1.2 वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि चार्ट 1.3, 2012-17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियाँ दर्शाता है।

जैसाकि चार्ट 1.2 से स्पष्ट है कि 2016-17 के दौरान ₹ 36,176 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ 73 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों, 24 प्रतिशत की पूँजीगत प्राप्तियों तथा तीन प्रतिशत की निवल लोक लेखा प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश, कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमशः 50 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 17 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत था।



उपर्युक्त चार्ट 1.3 से स्पष्ट है कि राजस्व, पूंजीगत व शुद्ध लोक लेखे में अधिक प्राप्तियों के कारण गत वर्ष की तुलना में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 30,533 करोड़ से 18 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 36,176 करोड़ हो गयी।

राजस्व प्राप्तियों में 2012-17 के दौरान वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष 2016-17 में ₹ 2,824 करोड़ की वृद्धि, मुख्यतया संधीय करों/शुल्कों भारत सरकार के अनुदानों में ₹ 2,601 करोड़ के अंश में वृद्धि के कारण हुई। राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण वर्ष 2015-16 के 77 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 73 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को काफी मात्रा में निधियों का अंतरण किया जा रहा है जो कि राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से नहीं होता है।

इन निधियों को वर्ष 2014-15 से बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2014-17 के वर्षों में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियाँ सीधे ही हस्तान्तरित की गई।


वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष की तुलना में प्रत्यक्षतः अन्तरित ये निधियाँ ₹ 344.68 करोड़ से बढ़कर ₹ 457.18 करोड़ हो गई। इन्हें मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) (₹ 104.32 करोड़), सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय (₹ 92.18 करोड़), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (₹ 35 करोड़) एवं सीमा प्रबंधन स्कीम (अधिशाली अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भाबानगर) (₹ 30 करोड़) को हस्तान्तरित किया गया था (परिशिष्ट 1.6)।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2016-17 के दौरान ₹ 457.18 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जाने से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 48,527 करोड़ से बढ़ कर ₹ 48,984 करोड़ हो गई। इन निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में अभी तक कोई अलग अभिकरण नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई, पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण संख्या-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। 2012-17 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का परिशिष्ट 1.3 में उल्लेख किया गया है तथा इन्हें निम्न चार्ट 1.4 में भी दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)




- राजस्व प्राप्तियां 12.99 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2012-13 में ₹ 15,598 करोड़ से निरंतर बढ़कर 2016-17 में ₹ 26,264 करोड़ हो गई। 2016-17 के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,824 करोड़ बढ़ गई।
- 2016-17 के दौरान केवल 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां, करों तथा कर-भिन्न राजस्व से राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (17 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (50 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय अन्तरण के रूप में आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	15,598	15,711	17,843	23,440	26,264
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.25	0.72	13.57	31.36	12.05
राज्य के अपने कर (₹ करोड़ में)	4,626	5,121	5,940	6,696	7,039
राज्य के अपने करों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.61	10.70	15.99	12.73	5.12
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.16	15.15	9.93	9.11	9.59
राजस्व प्राप्त/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.95	16.58	17.13	20.62	21.08
उत्प्लावकता अनुपात⁴					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.55	0.05	1.37	3.44	1.26
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	0.96	0.71	1.61	1.40	0.53

⁴ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।



- वर्ष 2013-14 में 0.72 प्रतिशत की गिरावट के बाद राजस्व प्राप्तियों की विकास दर में लगातार दो वर्षों 2014-15 में 13.57 प्रतिशत एवं 2015-16 में 31.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि पिछले पांच वर्षों में उच्चतम थी। तथापि, राज्य के अपने करों के न्यून उत्प्लावकता के कारण केन्द्रीय अन्तरणों के अधिक आवंटन के बावजूद वर्ष 2016-17 के दौरान इसमें 12.05 प्रतिशत की गिरावट हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास दर में 0.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता अनुपात में अर्न्तवर्षीय भिन्नता देखी गयी जो वर्ष 2013-14 में 0.05 कि गिरावट के पश्चात्, 2015-16 में बढ़कर 3.44 हुई और पुनः 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों के विकास दर में गिरावट के कारण गिरकर 1.26 हो गयी।
- वर्ष 2014-15 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर उत्प्लावकता अनुपात में निरन्तर गिरावट देखी गई। वर्ष 2016-17 के दौरान यह गिरकर पांच वर्षों में न्यूनतम आ गई और 0.53 रही। यह बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि की प्रतिक्रिया में राजस्व गतिशीलता की दक्षता में सुधार पर राज्य सरकार के अपर्याप्त ध्यान देने का सूचक है।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2016-17 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गयी हैं।

तालिका 1.6: प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य का प्रतिशत भिन्नता	
				14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	9,438	7,469	7,039	(-) 25.42	(-) 5.76
कर भिन्न राजस्व	1,876	1,668	1,717	(-) 8.48	लक्ष्य लब्ध

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

कर राजस्व की वास्तविक वसूली चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से ₹ 2,399 करोड़ (25.42 प्रतिशत) कम तथा कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूली 8 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2016-17 के लिए कर राजस्व

बजट प्राक्कलनों/एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित राज्य के अपने करों के अनुमान से 5.76 प्रतिशत कम थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,728 (10)	3,141(15)	3,661(17)	3,993(9)	4,382(10)
राज्य आबकारी	810 (15)	952 (18)	1,044(10)	1,131(8)	1,308(16)
वाहन कर	196 (11)	208 (6)	220 (6)	317(44)	280(-12)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	173 (12)	188 (9)	190(1)	206(8)	209(1)
विद्युत कर एवं शुल्क	262(42)	191(27)	333 (74)	551(65)	372 (-32)
भू-राजस्व	24 (33)	10 (-58)	17(70)	7(-59)	8 (14)
माल तथा यात्री कर	101 (7)	105 (4)	110(5)	115(5)	121(5)
अन्य कर	332 (12)	326 (-2)	365(12)	376(3)	359 (-5)
योग	4,626(13)	5,121 (11)	5,940 (16)	6,696(13)	7,039(5)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घटा इंगित करते हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान कर राजस्व में ₹ 343 करोड़ (5 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। मुख्य वृद्धि बिक्री, व्यापार, राज्य आबकारी व भू-राजस्व में थी जबकि विद्युत कर एवं शुल्क तथा वाहन कर में महत्वपूर्ण गिरावट हुई।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियां	70 (-39)	119 (70)	101(-15)	94(-7)	146(55)
लाभांश तथा लाभ	100 (16)	103 (3)	171(66)	112(-35)	290(159)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां, जिनमें	1,207(-30)	1,563(29)	1,809(16)	1,631(-10)	1,281(-21)
विविध सामान्य सेवाएं	9(-78)	6(-33)	3(-50)	19(533)	2(-89)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	112(8)	157(40)	161(3)	206(28)	112(-46)
वानिकी तथा वन्य जीवन	64(-40)	358(459)	116(-68)	34(-71)	19(-44)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	46(77)	26(-43)	36(38)	33(-8)	43(30)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	148(23)	111(-25)	162(46)	155(-4)	176(14)
विद्युत	637(-44)	696(9)	1,122(61)	924(-18)	651(-30)
अन्य	191(12)	209(9)	209(-)	260(24)	278(7)
योग	1,377 (-28)	1,785 (30)	2,081(17)	1,837(-12)	1,717(-7)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घटा इंगित करते हैं।

कर-भिन्न राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 2016-17 में ₹ 120 करोड़ (7 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2016-17 में अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 21 प्रतिशत की कमी देखी गई। वानिकी एवं वन्य जीवन के अन्तर्गत गैर कर-राजस्व पेड़ों की बिक्री के लिए तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि व योजना प्राधिकरण के अन्तर्गत भारत सरकार (डी.आर.डी.ओ.) के त्रुटिवश उधार जमा के पुनर्भुगतान के कारण वर्ष 2012-13 के ₹ 64 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 358 करोड़ हो गया। इसमें सबसे लगातार गिरावट हुई और वर्ष 2016-17 में यह ₹ 19 करोड़ हो गई। गत वर्ष के लिए मुफ्त विद्युत के लिए ₹ 340 करोड़ के शेष राशि के प्राप्ति के कारण ऊर्जा के अन्तर्गत गैर-कर राजस्व वर्ष 2012-13 के

₹ 637 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 1,122 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान बाजार में प्रचलित कम ऊर्जा दर के कारण यह 30 प्रतिशत घटा।

1.3.1.3 संग्रहण लागत

वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान बिक्री, व्यापार पर कर, राज्य आबकारी, माल एवं यात्री, स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस, वाहन और विद्युत कर पर करों के सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर व्यय एवं सकल संग्रहण पर इसकी प्रतिशतता तालिका 1.9 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.9: संग्रहण लागत

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर संग्रहण लागत की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार पर कर	2015-16	3,993	3.92	0.10
	2016-17	4,382	4.27	0.10
राज्य आबकारी	2015-16	1,131	4.15	0.37
	2016-17	1,308	6.03	0.46
माल एवं यात्री	2015-16	115	34.30	29.83
	2016-17	121	39.46	32.61
स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस	2015-16	206	2.20	1.07
	2016-17	209	23.04	11.02
वाहन कर	2015-16	317	6.41	2.02
	2016-17	280	2.95	1.05
विद्युत कर	2015-16	551	1.79	0.32
	2016-17	372	2.06	0.55

विगत वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य आबकारी, माल एवं यात्री कर, स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस और विद्युत कर के लिए सकल संग्रहण पर संग्रहण लागत की प्रतिशतता ज्यादा रही।

1.3.2 भारत सरकार से राज्य को अन्तरण

2012-13 से 2016-17 की अवधि में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुल केन्द्रीय अन्तरणों में लगातार वृद्धि (2013-14 को छोड़कर) देखी गई जिसे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से अन्तरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,313	6,314	7,178	11,296	13,164
संघीय करों व शुल्कों में राज्य का अंश	2,282	2,491	2,644	3,611	4,344
राज्यों को कुल केन्द्रीय अन्तरण	9,595	8,805	9,822	14,907	17,508

केन्द्रीय अन्तरणों की घटक वार स्थिति अनुवर्ती पैरों में दर्शाई गई है।

1.3.2.1 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 1.10 (अ) में दर्शाई गई है:

तालिका 1.10 (अ): भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेतर अनुदान	2,526	2,025	1,199	8,524	8,877
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	4,179	3,765	4,333	756	1,188
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	28	17	31	38	44
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	580	507	1,615	1,978	3,055
योग	7,313	6,314	7,178	11,296	13,164
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	12.15	(-)13.66	13.68	57.37	16.54
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	47	40	40	48	50

तालिका 1.10 (अ) से देखा जा सकता है कि चौदहवें वित्त आयोग के सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 से भारत सरकार से सहायता अनुदान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 1,868 करोड़ बढ़ गए जिससे विगत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। सहायता अनुदान के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान मुख्य प्राप्तकर्ता थे जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 2016-17 में ₹ 1,077 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धि ऊर्जा विकास, शहरी विकास व सामान्य शिक्षा में देखी गई थी। 2012-17 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्रतिशतता 40 से 50 प्रतिशत के बीच रही।

1.3.2.2 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर अन्तरण ₹ 732.53 करोड़ (20 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2015-16 के ₹ 3,611 करोड़ से 2016-17 में ₹ 4,344 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 (ब) में दिया गया है।

तालिका 1.10 (ब): वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़ में)

कर	चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2015-16 के वास्तविक आँकड़े	2016-17 के वास्तविक आँकड़े	भिन्नता
निगम कर	केन्द्रीय करों की शेर्य करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत राज्यों को	1,135.61	1,393.48	257.87
आय कर		786.68	968.47	181.79
सम्पत्ति कर		0.32	3.19	2.87
सीमा शुल्क		579.13	599.42	20.29
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		484.57	684.49	199.92
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क		2.93	0.01	(-)2.92
सेवा कर		621.90	694.64	72.74
आय व व्यय पर अन्य कर		0.03	शून्य	(-)0.03
योग		3,611.17	4,343.70	732.53

1.3.3 चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों का इष्टतम उपयोग

वित्तीय नियम बताते हैं कि अनुदानों को प्राप्त कर रहे संस्थाओं या संगठनों को सहायता अनुदानों को उपयोग करने के पश्चात् भारत सरकार को लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा तथा संबन्धित विभागों अर्थात् निदेशक पंचायती राज, निदेशक शहरी विकास, प्राथमिक शिक्षा व विशेष सचिव (राजस्व विभाग), शिमला से प्राप्त सूचना निम्नलिखित दर्शाता है:

तालिका 1.11: चयनित विभागों को चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदानों को अवमुक्त करना (2016-17)
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	अन्तरण	चौदहवें वित्त अयोग द्वारा सिफारिश	वास्तविक अवमुक्त राशि	व्यय
1	निदेशक शहरी विकास	यू.एल.बी.एस. को प्राथमिक अनुदान	13.83	13.83	13.83
		निष्पादन अनुदान	8.60	8.60	8.60
2	निदेशक पंचायती राज	यू.एल.बी.एस. को प्राथमिक अनुदान	270.56	270.56	270.56
		निष्पादन अनुदान	35.49	35.49	35.49
3	विशेष सचिव (राजस्व विभाग)		248.00	248.00	248.00
योग			576.48	576.48	576.48

यह देखा गया है कि चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार को ₹ 576.48 करोड़ की अनुदान राशि अवमुक्त की गई। राज्य सरकार ने पुनः यह अनुदान राशि निदेशालय पंचायती राज संस्थाएं, निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य कार्यकारी एजेंसियों को अवमुक्त कर दिया। यह देखा गया कि केवल राजस्व विभाग ने ₹ 248 करोड़ के व्यय के प्रति केवल ₹ 108.48 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया था जबकि अन्य संबन्धित विभागों के संदर्भ में सितम्बर 2017 तक न तो कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ न ही कोई व्यय ब्यौरा/विवरण कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई। पुनः पूरी प्राप्त राशि कार्यकारी एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना उपयोग किया हुआ दिखाया गया जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध है।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दी गई है।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूंजीगत प्राप्तियां	3,392	4,067	11,568	6,155	8,633
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	68.84	19.89	184.44	(-) 46.79	40.26
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	शून्य	650	शून्य	शून्य
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	21	17	41	26	30
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (केवल ऋण व अग्रिम)	(-) 16.00	(-) 19.05	141.18	(-) 36.83	15.38
लोक ऋण प्राप्तियां	3,371	4,050	10,877	6,129	8,603
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	69.91	20.14	168.57	(-) 43.65	40.37

वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां पिछले वर्ष (2015-16) से 40.26 प्रतिशत की विकास दर से ₹ 2,478 करोड़ की वृद्धि हुई। 2016-17 के दौरान यह बढ़ती मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2,474 करोड़ (40.37 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई थी। पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों की विस्तृत चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गयी है:

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता, हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता परिसंघ निगम लिमिटेड (हिमफैड), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य

वित्तीय निगमों, आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2017 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 6,044 करोड़ थे। इसमें से राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान केवल ₹ 30 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 80 करोड़ प्राप्त किए गए। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति पैरा 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से उधार से ऋण प्राप्तियाँ 2012-13 से 2016-17 तक निरन्तर राज्य सरकार की प्राप्तियों के स्रोत बने रहे।

तालिका 1.13: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बाजार ऋण	2,359 (73)	2,367 (59)	2,345 (22)	2,450 (40)	3,400 (40)
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	471 (15)	617 (15)	1,102 (10)	1,307 (22)	शून्य
अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	शून्य	629(16)	6,860 (64)	1,785 (29)	1,671 (20)
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	400 (12)	350 (9)	400 (4)	500 (8)	500 (6)
अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	9 (*)	28 (1)	45 (*)	37 (1)	2,931 [#] (34)
आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ	3,239	3,991	10,752	6,079	8,502
आन्तरिक ऋण चुकौतियाँ	2,056	1,639	8,193	3,876	3,869

कोष्ठकों के आंकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

* एक प्रतिशत से कम # उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

जैसे कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 के दौरान उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना (उदय) ऋणपत्रों के 2,891 करोड़ के ऋण प्राप्ति के कारण विगत वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण प्राप्तियां बढ़ गयी। पिछले पांच वर्षों से आंतरिक ऋण का मुख्य घटक बाजार ऋण था। 2016-17 में बाजार ऋण (7.5 की औसत ब्याज दर) ₹ 950 करोड़ बढ़ गयी। 2016-17 के दौरान आन्तरिक ऋण प्राप्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,079 करोड़ से ₹ 2,423 करोड़ (40 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,502 करोड़ हो गई और आंतरिक ऋण चुकौतियां ₹ 3,876 करोड़ से ₹ 7 करोड़ घटकर ₹ 3,869 करोड़ रह गई।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

विगत पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.14 में दी गई है।

तालिका 1.14: भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अथ शेष	947	1,018	1,012	1,070	1,049
वर्ष के दौरान प्रदत्त	132	59	125	50	101
वर्ष के दौरान निस्तारण	61	65	67	71	74
अंत शेष	1,018	1,012	1,070	1,049	1,076
कुल व्यय की प्रतिशतता	5	5	5	4	3

वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार से राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण व अग्रिमों की प्राप्ति (₹ 101.30 करोड़) 103 प्रतिशत बढ़ गयी।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उंचंत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.15 में दर्शाई गयी है।

तालिका 1.15: 2015-16 और 2016-17 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,116	3,403	2,397	2,198	719	1205
आरक्षित निधि	235	249	244	249	(-) 9	--
जमा तथा अग्रिम	2,408	2,727	2,293	2,546	115	181
उंचंत तथा विविध	617	800	651	872	(-) 34	(-)72
प्रेषण	5,139	6,451	4,992	6486	147	(-)35
कुल	11,515	13,630	10,577	12,351	938	1,279

निवल लोक लेखा प्राप्तियां= लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण


जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2015-16 के ₹ 938 करोड़ से ₹ 341 करोड़ बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,279 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान यह बढ़ोतरी मुख्यतः लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के अंतर्गत ₹ 486 करोड़ तथा जमा तथा अग्रिम के अंतर्गत ₹ 66 करोड़ रही।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बजट बाधाएं आती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषतः जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.5 विगत पांच वर्षों (2012-17) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों' द्वारा व्यय की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.6 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है।



➤ राज्य का कुल व्यय 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2012-13 में ₹ 18,598 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 32,133 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि ₹ 6,503 करोड़ (25 प्रतिशत) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹ 3,041 करोड़, ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹ 2,827 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 635 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

व्यय के इन संघटकों के सापेक्ष अंश की गति से इंगित हुआ कि व्यय के मुख्य संघटकों में अन्तः




वर्षीय भिन्नताएँ थीं। अविकासीय समझे जाने वाला सामान्य सेवा का (ब्याज भुगतान सहित) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय 2012-13 के 35.98 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 36.11 प्रतिशत हो गया लेकिन वर्ष 2016-17 में क्रमशः घटकर 30.92 प्रतिशत पर आ गया। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतानों (34 प्रतिशत) तथा पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (41 प्रतिशत) के कारण था। दूसरी ओर विकास व्यय⁵ अर्थात् सामाजिक

व आर्थिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2015-16 के 63.53 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में 58.81 प्रतिशत हो गया। ऋणों एवं अग्रिमों के अंश में उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस स्कीम के क्रियान्वयन के कारण 2016-17 के दौरान 8.43 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई।

⁵ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

➤ **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ से ₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत)



बढ़कर 2016-17 में ₹ 25,344 करोड़ हो गया। व्यय वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर ₹ 940 करोड़ (11 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर ₹ 1,630 करोड़ (20 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं पर ₹ 471 करोड़ (9 प्रतिशत) थी। समग्र वृद्धि शिक्षा, खेलों, कला एवं संस्कृति (₹ 813 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 510 करोड़),

ब्याज भुगतान (₹ 204 करोड़), स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (₹ 201 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 174 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (₹ 124 करोड़) शीर्षों के अन्तर्गत प्रमुख वृद्धि की परिणामी थी। वर्ष 2012-17 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (79 से 88 प्रतिशत) में बना रहा और 13 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2016-17 के दौरान यह कुल व्यय का 78.9 प्रतिशत रहा।

योजनागत राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में ₹ 1,027 करोड़ (29 प्रतिशत) बढ़ गया और उसने कुल राजस्व व्यय में केवल 13 से 18 प्रतिशत का अंशदान किया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में ₹ 2,014 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ गया और 2012-17 के दौरान उसका राजस्व व्यय में 82 से 87 प्रतिशत का प्रभावी अंश रहा। 2012-17 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की 79 से 95 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात से (परिशिष्ट 1.3) आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में प्रयुक्ति हुई।

2016-17 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.08 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय का 20.35 प्रतिशत रहा। राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 920 करोड़ रहा जो कि चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.74 प्रतिशत था।

➤ **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय 2012-14 के वर्षों में ₹ 1,955 करोड़ से ₹ 99 करोड़ घटकर ₹ 1,856 करोड़ हो गया। पूंजीगत व्यय में पिछले तीन वर्षों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 3,499 करोड़) गत वर्ष 2015-16 (₹ 2,864 करोड़) की तुलना में ₹ 635 करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 296 करोड़) व जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 434 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 203 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (₹ 201 करोड़) तथा परिवहन (₹ 1,584 करोड़) प्रमुख लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2016-17 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय का शेयर 2015-16 के 11.2 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 10.9 प्रतिशत हो गया।

➤ **ऋण तथा अग्रिम:** 2016-17 में कुल व्यय का 10 प्रतिशत (₹ 3,290 करोड़) था, जो विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ₹ 2,827 करोड़ बढ़ गया। ऋणों का मुख्य भाग (₹ 2,890.50 करोड़) उदय स्कीम के अन्तर्गत डिस्काम को संवितरित किया गया।

1.6.2 प्रतिबद्धित व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्धित व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट रहता है।

तालिका 1.16: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें	7,255 (47)	7,545 (48)	8,418 (47)	8,174 (35)	9,682(37)
आयोजनेतर शीर्ष	6,999	7,289	8,159	7,826	9,345
योजनागत शीर्ष	256	256	259	348	337
ब्याज भुगतान	2,370 (15)	2,481 (16)	2,849 (16)	3,155 (13)	3,359 (13)
पेंशन	2,747 (18)	2,855 (18)	2,914 (16)	3,836 (16)	4,114(16)
उपदान	567 (4)	467 (3)	801 (4)	1,346 (6)	764(3)
योग	12,939	13,348	14,982	16,511	17,919
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	80	77	76	74	71

* वेतन: ₹ 9,356 करोड़; मजदूरी: ₹ 326 करोड़

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।

जैसे तालिका 1.16 से स्पष्ट है कि राज्य के प्रतिबद्धित व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 1,408 करोड़ (9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2012-17 के वर्षों में लगातार, प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का प्रमुख भाग क्रमशः 80, 77, 76, 74 व 71 प्रतिशत रहा।

वेतन एवं मजदूरी

स्टाफ को मंहगाई भत्ता किस्तों व अन्य लाभों के भुगतान के कारण वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष से ₹ 1,508 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2016-17 के दौरान यह राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 37 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन व्यय (₹ 9,356 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्रक्षेपणों (₹ 9,445 करोड़) के अन्तर्गत था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2012-13 में ₹ 2,747 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 4,114 करोड़ तथा गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 278 करोड़ (7 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वेतन एवं पेंशन भुगतानों पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 4,200 करोड़) के अन्तर्गत था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2012-13 के ₹ 2,370 करोड़ से 2016-17 में ₹ 3,359 करोड़ हो गए तथा इनमें गत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान ₹ 204 करोड़ (6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 3,391 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 3,400 करोड़) के अन्तर्गत था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज भुगतान का वृद्धिकारी निर्गमन बढ़े हुए वाणिज्यिक उधारों के कारण था जैसे कि पैरा 1.9.2 में विवरण दिया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। तालिका 1.16 दर्शाती है कि लगातार दो वर्षों 2014-15 तथा 2015-16 में वृद्धि के पश्चात् 2016-17 के दौरान दिए गए उपदानों में ह्रास हुआ। 2016-17 में उपदान ₹ 582 करोड़ घट गए जो कि राजस्व

प्राप्तियों का लगभग 3 प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक ऊर्जा (₹ 265 करोड़); परिवहन (₹ 160 करोड़), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 175 करोड़) तथा उद्यान (₹ 62 करोड़) थे।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को अवमुक्त किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.17 में दी गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अवमुक्त किए गए सहायता अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	संस्था का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	405.62 (29)	451.55 (11)	601.03 (33)	663.67 (10)	849.57 (28)
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	174.09 (42)	282.33 (62)	211.65 (-25)	321.63 (52)	554.49 (72)
3.	पंचायती राज संस्थाएं	282.09 (7)	353.54 (25)	810.37 (129)	926.72 (14)	1,011.60 (9)
4.	विकास अभिकरण	38.72 (-17)	65.96 (70)	63.52 (-4)	80.53 (27)	150.37 (87)
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	87.77 (26)	94.63 (8)	216.24 (129)	277.14 (28)	271.64 (-2)
6.	अन्य संस्थाएं	214.82 (32)	189.87 (-12)	253.37 (33)	342.58 (35)	519.31 (52)
	योग	1,203.11 (23)	1,437.88 (20)	2,156.18 (50)	2,612.27 (21)	3,356.98 (29)
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	7.43	8.28	10.90	11.71	13.25

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित आंकड़े कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

2012-16 की अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति सामने आई। यह अनुदान विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2016-17) के दौरान ₹ 744.71 करोड़ (29 प्रतिशत) तक बढ़ गए। वर्ष 2016-17 के दौरान सहायता अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों (₹ 185.90 करोड़), नगर निगम व नगरपालिकाएं (₹ 232.86 करोड़), विकास अभिकरणों (₹ 69.84 करोड़) तथा अन्य संस्थानों (₹ 176.73 करोड़) को अधिक अनुदान के कारण थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को समनुदेशित सामाजिक क्षेत्र व आर्थिक मूलाधार से सम्बद्ध व्यय दायित्व अधिकांशतः राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा है कि वे मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस सेक्टर को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर व्यय श्रेणी अनुपात) से सम्बद्ध किया कहा जा सकता है।

तालिका 1.17 (क) वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष मानते हुए 2015-16 व चालू वर्ष 2016-17 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएं विश्लेषित करती है।

तालिका 1.17 (क): 2012-13, 2015-16 व 2016-17 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स.व./स.रा. घ.उ.	वि.व./ स.व.	सा.क्षे.व./ स.व.	आ.क्षे.व./स.व.	पू.व./स.व.	शि./स.व.	स्वा./स.व.
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	24.80	61.10	34.30	30.70	15.10	18.10	5.30
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	22.60	63.93	35.31	28.62	10.51	19.27	5.41
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	24.70	63.90	36.30	30.10	14.00	18.50	6.00
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2015-16	22.55	65.27	34.22	31.04	11.17	17.29	5.53
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	27.40	61.50	34.20	30.00	13.60	16.60	5.40
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2016-17	25.80	69.03	33.15	35.88	10.89	16.31	5.56

स.व.: सकल व्यय, स.रा.घ.उ.: सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वि.व.: विकास व्यय, सा.क्षे.व.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व.: आर्थिक क्षेत्र व्यय,
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय व संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल हैं।
स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए 01 अगस्त 2017 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध तथा राज्यों द्वारा आपूरित सूचना

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा व्यय के एक विशेष वर्गीकरण के लिए दी गई प्राथमिकता को संदर्भित है। 2012-13 तथा 2015-16 के साथ 2016-17 में हुए व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत् दर्शाता है:

- वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सरकार का समेकित व्यय 22.60 प्रतिशत था जो 2015-16 में थोड़ा सा 22.55 प्रतिशत तक घट गया। तथापि 2016-17 में यह 25.80 प्रतिशत था जो कि विगत वर्ष से 3.25 प्रतिशत अंक अधिक है। 2012-13, 2015-16 व वर्ष 2016-17 के दौरान यह विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था।
- हिमाचल प्रदेश में समेकित व्यय में विकास व्यय की प्रतिशतता 2012-13, 2015-16 व 2016-17 के दौरान विशेष श्रेणी राज्य के औसत से क्रमशः 2.83, 1.37 व 7.53 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य में समेकित व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय आधार वर्ष 2012-13 में विशेष श्रेणी राज्य के औसत से अधिक था। तथापि, यह 2015-16 व 2016-17 के दौरान विशेष श्रेणी राज्य के औसत से कम था।
- समेकित व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय का अनुपात तुलना के सभी वर्षों में विशेष श्रेणी राज्य की औसत से न्यून था। 2016-17 के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में 0.28 प्रतिशत घटा तथा विशेष श्रेणी राज्य के औसत से 2.71 प्रतिशत कम था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत अनुपात विशेष श्रेणी राज्य के औसत से अधिक था लेकिन 2015-16 व 2016-17 की अवधि के दौरान विशेष श्रेणी राज्य के औसत से कम था।

1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता व इसकी प्रभावशीलता

नीचे तालिका 1.17 (ख) के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2016-17 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमशः ₹ 880 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं ₹ 255 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में ₹ 246 करोड़ (26 प्रतिशत) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 133 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

तालिका 1.17 (ख): विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2015-16	25,630	सामाजिक सेवाएं	7,980	792	0.03	4,776	930
		आर्थिक सेवाएं	5,525	1,984	0.08	1,911	1,147
2016-17	32,133	सामाजिक सेवाएं	9,610	1,041	0.03	5,656	1,176
		आर्थिक सेवाएं	5,996	2,250	0.07	2,166	1,280

स्रोत: वाऊचर स्तर कम्प्यूटरीकरण महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

2016-17 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के अनुपात में पूँजीगत व्यय क्रमशः 0.03 तथा 0.07 रहा जो कि चिन्ता का विषय है।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूँजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2017 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.18 में दी गई है। मात्र वे परियोजनाएं अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं जिनमें कार्य समापन की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2017 तक पूर्ण हो चुकी थी।

तालिका 1.18: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2017 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	08	85.68	35.48	99.68
लोक निर्माण कार्य (भवन एवं सड़कों)	04	196.38	उपलब्ध नहीं	87.94
योग	12	282.06		187.62

स्रोत: वित्त लेखे * केवल 3 परियोजनाओं की संशोधित लागत।

अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की केवल 3 परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जहां ₹ 17.78 करोड़ की लागत वृद्धि थी। ये परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा मार्च 2012 के मध्य पूरी की जानी थीं। कार्यों की भौतिक प्रगति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी 12 परियोजनाओं का 70 से 99 प्रतिशत के मध्य कार्य पूर्ण हुआ था तथा 12 वर्षों तक की समय वृद्धि हो चुकी थी।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2017 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 3,294 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.19 (क))। निवेश पर औसत प्रतिफल

5.15 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2012-17 के दौरान अपने उधारों पर 7.85 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.19 (क): निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत 2012-17
वर्षांत में निवेश	2,767	3,025	2,732	3,041	3,294	लागू नहीं
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज)	100.09	103.42	171.00	111.94	289.63	लागू नहीं
प्रतिफल (प्रतिशत)	3.62	3.42	6.26	3.68	8.79	5.15
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.08	7.71	7.91	7.95	7.60	7.85
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	4.46	4.29	1.65	4.27	(-).1.19	2.70

स्रोत: वित्त लेखे

यद्यपि गत वर्ष 2015-16 (₹ 3,041 करोड़) की तुलना में सरकारी निवेश 2016-17 (₹ 3,294 करोड़) में 8.32 प्रतिशत बढ़े तथा निवेशों के प्रतिफल 2012-15 में लगातार वृद्धि दर्शाते हुए 2012-13 में ₹ 100.09 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 171 करोड़ हो गये लेकिन 2015-16 के दौरान ₹ 59.06 करोड़ घट गए। 2016-17 के दौरान इसमें ₹ 177.69 करोड़ की वृद्धि हुई। विगत पांच वर्षों (2012-17) में मुख्य अंशदाता सतलुज जल विद्युत निगम था। प्रमुख लाभान्वित सरकारी कम्पनियों में, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार हानियां संचित की थी वे हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,018.64 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹ 161.06 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 80.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (₹ 22.08 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड (₹ 52.75 करोड़) थे।

1.8.2.1 उदय स्कीम का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय एवं परिचालन क्षमता में सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना (उदय) स्कीम नवम्बर, 2015 में आरंभ की गई थी। यह ब्याज भार, विद्युत लागत तथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने का उल्लेख करती है। परिणामस्वरूप डिस्कॉम लंबे समय तक पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति कर सकेगा जिससे 24x7 विद्युत आपूर्ति सक्रिय रहेगी। स्कीम में प्रावधान है कि राज्य दो वर्षों में डिस्कॉम के 75 प्रतिशत ऋण (30 सितंबर, 2015 तक) वहन करेंगे अर्थात् 2015-16 में लिए गए 50 प्रतिशत ऋण तथा 2016-17 में लिए गए 25 प्रतिशत ऋण। एक त्रिपक्षीय करारनामे पर भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य 8 दिसम्बर 2016 को हस्ताक्षर होने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश सरकार ने 28 फरवरी 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹ 2,890.50 करोड़ राशि निधियों को लिया और 1 मार्च 2017 को इन निधियों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को अंतरित कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त इस राशि को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा सम्बन्धित ऋणदाता को दे दिया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य द्वारा लिया गया ऋण वित्तीय वर्षों 2015-16 व 2016-17 में राज्य के राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाएगा। यद्यपि, वर्ष 2016-17 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा बिना उदय स्कीम के ₹ 2,948 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत) है तथा राजकोषीय घाटा उदय स्कीम को मिलाकर ₹ 5,839 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.69 प्रतिशत) होगा।

1.8.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अगस्त 1982) निर्मित की थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी पर 3 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना था। मन्त्रि-परिषद् ने 8 अप्रैल 2011 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम (कल्याण एवं यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) वित्त वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में करोपरान्त लाभ के 50 प्रतिशत सीमांकन की शर्त पर सरकारी इक्विटी पर 5 प्रतिशत प्रतिफल की अदायगी कर सकते हैं। यह राशि नवीनतम रूप से अनुवर्ती वर्ष के जून माह के अन्त तक सरकारी कोषागार में जमा की जानी थी तथा विहित था कि लाभ अर्जित करने वाले सभी उपक्रम निर्धारित प्रतिफल भविष्य में भी भुगतान करते रहेंगे। 31 मार्च 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उपक्रमों में राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 3,508.59 करोड़ थी।


तालिका 1.19 (ख): प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियों		सांविधिक निगम (संख्या)	सकल योग (संख्या)
	कार्यशील (संख्या)	कम्पनियों अकार्यशील कम्पनियों (संख्या)		
प्रदत्त शेयर पूंजी	2,743.81 (19)	16.75 (2) ⁶	748.03 (2)	3,508.59 (23)

31 मई 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार स्थिति निम्नांकित चार्ट 1.8 तथा परिशिष्ट 1.7 में दी गई है:

चार्ट 1.8: प्रदत्त शेयर पूंजी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विवरण



अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2017 तक निवेशित ₹ 3,508.59 करोड़ की इक्विटी पर इसने मात्र ₹ 1.89 करोड़ का प्रतिफल अर्जित किया जो कि मई 2017 तक नवीनतम

⁶ दो कम्पनियों (एग्रो पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड व हिमाचल वस्टेंड मिल्ल लिमिटेड) में से एक कम्पनी अर्थात् हिमाचल वस्टेंड मिल्ल लिमिटेड परिसमापनाधीन थी।

अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 3,508.59 करोड़ का 0.05 प्रतिशत था।

1.8.2.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2017 तक आरम्भ की गई 24 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से 10 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं (लागत ₹ 179.50 करोड़) पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और सौंपी गई 14 परियोजनाएं (अनुमानित लागत ₹ 1,245 करोड़) कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.8 में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। तालिका 1.20 में 31 मार्च 2017 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अथशेष	951	1,399	1,913	2,346	2,784
वर्ष के दौरान दी गई राशि	469	531	474	463	3,290*
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	21	17	41	25	30
अंत शेष	1,399	1,913	2,346	2,784	6,044
निवल वृद्धि	448	514	433	438	3,260
ब्याज प्राप्तियां	14	15	65	53	80
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	1.19	0.78	2.77	1.90	1.32
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	8.39	8.15	8.41	8.26	8.15
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 7.20	(-) 7.37	(-) 5.64	(-) 6.36	(-) 6.83

स्रोत: वित्त लेखे

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित।

जैसा कि तालिका 1.20 से अवलोकित होता है कि 31 मार्च 2017 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 6,044 करोड़ थी। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रदत्त ₹ 3,290 करोड़ के अग्रिम के प्रति केवल ₹ 30 करोड़ लौटाए गए। अधिकांश ऋण आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों (₹ 3,228.81 करोड़) को उदय स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिए गए। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। यह कमी 2015-16 के दौरान 6.36 प्रतिशत था जो चालू वर्ष में बढ़कर 6.83 प्रतिशत हो गया। 2016-17 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों का प्रतिफल 1.32 प्रतिशत प्राप्त किया तथापि, इस अवधि के दौरान उसने उधारों पर औसतन 8.15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2016-17 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.21 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.21: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋणी-इकाइयाँ	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि, अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश निजी संस्थान नियामक आयोग	1	1.00	ब्याज मुक्त	निर्दिष्ट नहीं
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी	3	27.11	11.45 प्रतिशत	3 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता संघ निगम लिमिटेड (हिमफैड)	1	10.00	10.20 प्रतिशत	निर्दिष्ट नहीं
	1	2.68	10.90 प्रतिशत	1 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	44	218.31	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1	2,890.50	अभी निश्चित करना है	निर्दिष्ट नहीं
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	6	120.00	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	3	13.06	8.5 प्रतिशत	2 वर्ष
सरकारी कर्मचारी	--	7.03	लागू नियमों के अनुसार	लागू नहीं
योग	60	3,289.69		

स्रोत: वित्त लेखे

1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.22 नकद शेष और वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.22: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 तक	31 मार्च 2017 तक	वृद्धि (+)/कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	शून्य	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 340.76	(-) 443.27	(-) 102.51
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	556.80	759.43	202.63
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय कार्यालयों अर्थात् लोक निर्माण विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	शून्य
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	शून्य
योग (क+ख)	216.23	316.35	100.12
(ग) नकद शेषों से निवेश			
भारत सरकार के कोषागार बिल	556.80	759.43	202.63
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	7,650.79	7,150.02	(-) 500.77
(घ) नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिवार ब्यौरा			
(ङ) वसूल किया गया ब्याज	39.59	53.30	13.71

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 01.02.2016 से ₹ 550 करोड़ है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के गिरवी रखने के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमती प्रदान करता है।

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 2 (अनुबंध-क) व विवरणी संख्या 17 के अनुसार वर्ष 2015-16 के अन्त में अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्षों में कुछ भी लम्बित नहीं था। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार 342 दिनों तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पायी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 23 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम ₹ 1,670.72 करोड़ लेने पड़े। 2016-17 के दौरान समस्त राशि की अदायगी कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष 2015-16 में ₹ 216.23 करोड़ से ₹ 100.12 करोड़ बढ़कर 2016-17 में ₹ 316.35 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान ब्याज की उगाही ₹ 13.71 करोड़ बढ़ी।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2017 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2016 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2016-17 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,859.34 करोड़ (22.78 प्रतिशत) बढ़ी जबकि दायित्व ₹ 5,939.62 करोड़ (14.20 प्रतिशत) बढ़े। वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों का अनुपात 2015-16 के 72 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 77 प्रतिशत हो गया।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की 2012-13 से 2016-17 तक के पांच वर्षों के बकाया राजकोषीय देयताओं की स्थिति **परिशिष्ट 1.3 व तालिका 1.23** में दर्शाई गई है। विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **चार्ट 1.9** में प्रस्तुत किया गया है।


तालिका 1.23: राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	30,442	33,884	38,192	41,197	47,244 [#]
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.84	11.31	12.71	7.87	14.68
राजकोषीय देयताओं का अनुपात से (प्रतिशत में)					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.37	0.36	0.37	0.36	0.38
राजस्व प्राप्तियां	1.95	2.16	2.14	1.76	1.80
अपने संसाधन	5.07	4.91	4.76	4.83	5.40
राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता से					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.60	0.75	1.28	0.86	1.53
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.08	15.71	0.94	0.25	1.22
अपने संसाधन (अनुपात)	(-) 23.76	0.75	0.79	1.24	5.62

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 पर संशोधित

उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2012-13 के ₹ 30,442 करोड़ से ₹ 16,802 करोड़ (55 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 में ₹ 47,244 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹ 32,570 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 19,023 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1,076 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 12,471 करोड़), जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूति पर ₹ 7,150 करोड़) समाविष्ट हैं।



लोक लेखा देयताओं (₹ 14,674 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 11,844 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 2,610 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 220 करोड़) समाविष्ट हैं।

2016-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 14.68 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात अर्न्तवर्षीय भिन्नता दर्शाता है और यह 2015-16 के 36.24 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 37.93 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2016-17 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 1.80 गुणा व अपने राजस्व संसाधनों का 5.40 गुणा थी। 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजकोषीय दायित्वों का उत्प्लावकता अनुपात 1.53 रहा। यह राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से अधिक होने का सूचक है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2016 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 219.58 करोड़ (जमा) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 0.95 करोड़ (जमा) थी तथा इस निधि का ब्याजरहित अंश ₹ 218.63 करोड़ (जमा) था।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वे दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का सृजन करें अर्थात् (i) बकाया दायित्वों के ऋणशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शास्त्रि एक समेकित ऋणशोधन निधि का सृजन ताकि वे मुक्त बाजार से लिए गए ऋणों की किश्तें चुकता कर सकें तथा (ii) प्रदत्त प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रत्याभूति विमोच्य निधि का सृजन। इन निधियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

1.9.3.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में पड़े बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान करे तथापि राज्य सरकार ने कोई भी समेकित ऋणशोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 41,197 करोड़ थे। यदि समेकित ऋणशोधन निधि होती तो राज्य सरकार की वर्ष 2016-17 में इस निधि में देयता ₹ 205.99 करोड़ (विगत वर्ष में बकाया दायित्वों का 0.5 प्रतिशत) हुई होती। अतः राजस्व व राजकोषीय घाटा उस सीमा तक न्यूनोक्त रहा।

1.9.3.2 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान से इस निधि का गठन करे तथापि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई निधि गठित नहीं की है। परिणामतः 31 मार्च 2017 को ₹ 18.57 करोड़ का राजस्व व राजकोषीय घाटा न्यूनोक्त रहा।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो वे गारंटियाँ⁷ आकस्मिक देयतायें हैं।

वित्त लेखे के विवरणी-20 के अनुसार विगत पाँच वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका-1.24 में दी गई हैं।

तालिका 1.24: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गारंटियों की बकाया राशि (₹ करोड़ में)	3,353	4,333	4,281	3,714	4,550
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	23	28	27	21	19

चालू वर्ष के दौरान गारंटियों की बकाया ₹ 4,550 करोड़ की राशि विद्युत क्षेत्र (₹ 3,760 करोड़), तीन सांविधिक बोर्डों/निगमों (₹ 430 करोड़), सात सरकारी कम्पनियों (₹ 51 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 280 करोड़), राज्य वित्त निगम (₹ 24 करोड़) और एक स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) से सम्बंधित है। चालू वर्ष के दौरान गारंटी जारी नहीं की गई थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण रूपरेखा

तालिका 1.25: ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	ब्यौरे	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	आन्तरिक ऋण	19,747 (95)	22,099 (96)	24,658 (96)	26,861(96)	31,494(97)
	(i) बाजार ऋण	11,809 (57)	13,565 (59)	15,196 (59)	16,860(60)	19,023(59)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम	शून्य	285 (1)	285 (1)	शून्य	शून्य
	(iii) अधिविकर्ष	शून्य	171 (1)	249 (1)	शून्य	शून्य
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,589 (12)	2,306 (10)	2,252 (9)	2,350(8)	5,321(16)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां	5,349 (26)	5,772 (25)	6,676 (26)	7,651(28)	7,150(22)
2.	भारत सरकार से ऋण	1,018 (5)	1,012 (4)	1,071 (4)	1,049(4)	1,076(3)
कुल लोक ऋण:		20,765	23,111	25,729	27,910	32,570
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
	0 - 1	1,533(8)	1,923(8)	2,046 (8)	2,268(8)	3,096(9)
	1 - 3	2,946(14)	3,514(15)	4,837(19)	6,236(22)	5,729(18)
	3 - 5	4,349(21)	5,470(24)	4,929(19)	4,331(16)	4,279(13)
	5 - 7	4,380(21)	3,162(14)	3,192(12)	4,339(16)	4,952(15)
	7 या उससे ऊपर	7,557(36)	9,042(39)	10,725(42)	10,736(38)	14,514(45)

कोष्ठकों के आंकड़े कुल लोक ऋण की प्रतिशतता इंगित करते हैं।

⁷ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

कुल लोक ऋण 2012-13 के ₹ 20,765 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 32,570 करोड़ हो गया जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 10.85 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2012-13 के 57 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 60 प्रतिशत तथा 2016-17 में 59 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष (2016-17) के दौरान कुल लोक ऋण गत वर्ष से 17 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (तालिका 1.25) इंगित करती है कि 9 प्रतिशत (₹ 3,096 करोड़) लोक ऋण आगामी वर्ष में चुकता करने योग्य है। इक्कीस प्रतिशत (₹ 10,008 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में चुकता किए जाने हैं जबकि शेष 60 प्रतिशत (₹ 19,466 करोड़) पांच वर्षोंपर अवधि में चुकता करने पड़ेंगे जो उस अवधि के सरकारी बजट पर बोझ डालेंगे। यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 55 प्रतिशत ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायक स्थिति नहीं है।

विगत पाँच वर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण को दर्शाने वाला विश्लेषण तालिका 1.26 में दिया गया है।

तालिका 1.26: प्रति व्यक्ति ऋण

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6962	0.7023	0.7084	0.7147	0.7219
कुल ऋण (₹ करोड़ में)	30,442	33,884	38,192	41,197	47,244*
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹ में)	43,726	48,247	53,913	57,642	65,444*

स्रोत: वित्त लेखे व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

उपर्युक्त तालिका प्रति व्यक्ति ऋण 2012-13 में ₹ 43,726 से 2016-17 में ₹ 65,444 की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है (पाँच वर्षीय अवधि में 50 प्रतिशत वृद्धि)। गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में इसमें ₹ 7,802 (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, राज्य की प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2016-17 के लिए उदय स्कीम को मिलाकर ₹ 65,444 है, बिना उदय स्कीम के यह ₹ 61,439 होगा।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता⁸ को निश्चित करते हैं। वर्ष 2012-13 से आरम्भ करते हुए पांच वर्षों की अवधि हेतु राज्य की ऋण धारणीयता सूचकों की भिन्नताओं का विश्लेषण तालिका 1.27 में दिया गया है।

तालिका 1.27: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया लोक ऋण (₹ करोड़ में)	20,765	23,111	25,729	27,910	32,570
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.43	11.30	11.33	8.48	16.70
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.16	15.15	9.93	9.11	9.59
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	11.77	11.31	11.67	11.76	11.11
ब्याज की राजस्व प्राप्ति के साथ प्रतिशतता	15.19	15.79	15.97	13.46	12.79
ऋण चुकौती की ऋण प्राप्ति के साथ प्रतिशतता	62.80	42.06	75.94	64.42	45.83
राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण ** (₹ करोड़ में)	(-) 456	544	588	(-) 63	2,201

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

** राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की गई।

⁸ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

उपर्युक्त तालिका 1.27 से प्रकट होता है कि

- बकाया ऋण की वृद्धि दर 2012-17 के दौरान अन्तः वर्षीय भिन्नता दर्शाती है। 2016-17 के दौरान बकाया ऋण की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 8.22 प्रतिशत अंक बढ़ गई जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान 0.48 प्रतिशत बढ़ा।
- 2012-17 वर्षों के दौरान बकाया ऋण की औसत ब्याज दर लगभग स्थिर रही तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 11.11 प्रतिशत रही।
- 2012-16 वर्षों के दौरान राज्य की लगभग 13-16 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों, ब्याज-भुगतानों के लिए प्रयुक्त की गईं। वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 12.79 प्रतिशत रहा।
- 2012-17 वर्षों के दौरान ऋण प्राप्तियों के 42.06 से 75.94 प्रतिशत उनकी चुकौतियों के लिए प्रयुक्त किए गए।
- यद्यपि वर्ष 2016-17 में राज्य की उपलब्ध शुद्ध निधियाँ उदय स्कीम के साथ धनात्मक ₹ 2,201 करोड़ थी परन्तु यदि उदय स्कीम को सम्मिलित नहीं किया जाता तो ये ऋणात्मक ₹ 690 करोड़ होती। ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज) के पश्चात् शुद्ध निधि की धनात्मक उपलब्धता लाभकारी/पूँजीगत खर्चे हेतु सक्षमता को दर्शाती है। इसके विपरीत निधि की ऋणात्मक उपलब्धता राज्य के ऋण चुकता अथवा पूँजीगत व्यय करने की अक्षमता को दर्शाती है।

1.10.3.1 एच.पी.एफ.आर.बी.एम.ऐक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन

एच.पी.एफ.आर.बी.एम.ऐक्ट, 2005 में नियत है कि उधार स्वधारणीय विकास क्रियाकलापों या पूँजीगत परिसम्पत्तियों के संवर्धन पर प्रयुक्त किए जाने हैं और उन्हें चालू व्यय के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाना है। सरकार ने प्रत्येक ऋण पर यह लक्ष्य अधिसूचित किया कि ऋण की राशि विकास स्कीमों जैसे विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन, उद्योग आदि के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त की जाएगी जोकि विशेष रूप से राज्य के कमजोर वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों के हित में है और जिसका लोगों की आजीविका व सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रमुख दीर्घकालिक प्रभाव होगा। सरकार ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए उपर्युक्त लक्ष्य से जो उधार बाजार से जुटाए उनकी वर्षबद्ध स्थिति तालिका 1.28 में दर्शाई गई है:

तालिका-1.28: वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा जुटाए गए बाजार ऋणों व अदायगी के व्यौरे (₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण की राशि				
	जुटाए गए	अदायगी के प्रयोजन हेतु		व्यय के प्रयोजन हेतु	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2012-13	2,359	698	30	1,661	70
2013-14	2,367	611	26	1,756	74
2014-15	2,345	714	30	1,631	70
2015-16	2,450	786	32	1,664	68
2016-17	3,400	1,237	36	2,163	64

स्रोत: सम्बद्ध वर्षों के वित्त लेखे

मार्च 2015 एवं 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विगत दायित्वों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा नवीन बाजार उधारों के उपयोग का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद भी 2016-17 के दौरान सरकार ने परिपक्व बाजार ऋणों की अदायगी हेतु 36 प्रतिशत नवीन उधारों का उपयोग किया। इस प्रकार नवीन ऋणों का भुगतान इन ऋणों के लक्ष्यों को विफल करने के अलावा एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट के उपबन्धों के विपरीत था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रवर्ग इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।



1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

2012-17 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) की प्रवृत्तियां को तालिका 1.29 व चार्ट 1.10 एवं 1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.29: घाटों की प्रवृत्तियां

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
घाटे					
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	(-) 576	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920
राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+)	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948*
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990	411
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.70	(-) 1.73	(-) 1.87	1.00	0.74
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 3.62	(-) 4.23	(-) 4.03	(-) 1.90	(-) 2.37
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.74	(-) 1.61	(-) 1.30	0.87	0.33

* उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य द्वारा वहन किये गये, राज्य ऊर्जा वितरण कर्मानियों (डिस्कॉम्स) से सम्बन्धित ऋण को वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के राजकोषीय घाटे की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना है। यद्यपि उदय स्कीम को सम्मिलित न किये बिना वर्ष 2016-17 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 2,948 करोड़ है जबकि उदय स्कीम को सम्मिलित करने पर राजकोषीय घाटा ₹ 5,839 करोड़ होता।



एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट/तेरहवें वित्त आयोग के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 में कम करके शून्य पर लाना तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बरकरार रखा जाना अपेक्षित था। तथापि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में राजस्व घाटे को कम करके शून्य पर लाने के लक्ष्य को लब्ध कर लिया गया था। 2015-16 में अच्छे प्रदर्शन के बाद 2016-17 के दौरान घाटे के सभी तीनों सूचक ह्रास की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1,137 करोड़ से घटकर ₹ 920 करोड़ हो गया। यह भी देखा गया कि यद्यपि इस वर्ष केन्द्रीय अन्तरण में वृद्धि हुई फिर भी राजस्व अधिशेष घटा।

राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधारों तथा कुल संसाधन अन्तराल को दर्शाता है वर्ष 2012-13 के ₹ 2,979 करोड़ से सीधे बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 4,200 करोड़ हो गया तथा तत्पश्चात् वर्ष 2015-16 में घटकर ₹ 2,165 करोड़ रह गया। राजकोषीय घाटा विगत वर्ष से ₹ 783 करोड़ से बढ़कर 2016-17 के दौरान ₹ 2,948 करोड़ दर्ज किया गया। चालू वर्ष के दौरान यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत था जो कि एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट में निर्धारित लक्ष्य (3.17 प्रतिशत) व चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेप (तीन प्रतिशत) के अन्तर्गत था।

वर्ष 2012-13 (₹ 609 करोड़), 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) की अवधि का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015-16 (₹ 990 करोड़) तथा 2016-17 में (₹ 411 करोड़) प्राथमिक अधिशेष में बदल गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय घाटे के संघटक					
1 राजस्व घाटा/अधिशेष	(-) 576 ((-) 0.70)	(-) 1,641 ((-) 1.73)	(-) 1,944 ((-) 1.87)	1,137 (1.00)	920 (0.74)
2 शुद्ध पूंजीगत व्यय	1,955(2.38)	1,856(1.96)	1,823(1.75)	2,864(2.52)	3,499(2.81)
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	448(0.54)	514(0.54)	433(0.42)	437(0.38)	3,260(2.62)
4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा *					
1 बाजार उधार	1,662	1,757	1,631	1,664	2,163
2 भारत सरकार से ऋण	71	(-) 6	59	(-) 22	27
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	286	424	904	975	(-) 500
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 764	173	24	(-) 436	80 [#]
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,112	887	1,185	718	1,205
6 निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 156	207	504	115	181
7 उच्च एवं विविध	756	267	28	(-) 590	(-) 274
8 प्रेषण	(-) 174	(-) 23	12	148	(-) 35
9 अन्य	186	325	(-) 147	(-) 407	101
10 समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं। *ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे # उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

तालिका 1.30 दर्शाती है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 783 करोड़ बढ़ गया। ₹ 2,948 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार के उधारों

(₹ 2,163 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 1,205 करोड़) तथा निक्षेप एवं अग्रिम (₹ 181 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध पूंजीगत व्यय 2012-13 के 2.38 से घटकर वर्ष 2014-15 में 1.75 प्रतिशत रह गया। तथापि वर्ष 2015-16 में 2.52 प्रतिशत था और उसके बाद 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.81 प्रतिशत हो गया।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा था तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पृष्ठ पोषण नहीं है। प्राथमिक घाटे का द्विभाजन वह सीमा इंगित करता है जिस पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा था जो कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के सुधारार्थ वांछनीय है। 2012-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 से 0.46 तक था। 2015-16 व 2016-17 के दौरान राज्य ने ₹ 1,137 करोड़ व ₹ 920 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुभूत किया (परिशिष्ट 1.3)।

2012-17 की अवधि के दौरान सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणत घटकों का द्विभाजन तालिका 1.31 में इंगित है।

तालिका 1.31: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणतर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	15,619	13,804	1,955	469	16,228	1,815	(-) 609
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530
2014-15	18,534	16,938	2,473	474	19,885	1,596	(-) 1,351
2015-16	23,466	19,149	2,864	463	22,476	4,317	990
2016-17	26,294	21,985	3,499	399 [#]	25,883	4,309	411 [#]

उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

इस तालिका से अवलोकित हुआ कि ऋणतर प्राप्तियां वर्ष 2012-13 के ₹ 15,619 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 26,294 करोड़ हो गयी जो कि राजस्व लेखे में प्राथमिक व्यय की आवश्यकता पूर्ति हेतु बिल्कुल पर्याप्त थीं लेकिन वे पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 (₹ 609 करोड़), 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) व 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ। विगत वर्षों के दौरान प्राथमिक घाटा दर्शाने के बाद, राज्य में 2015-16 व 2016-17 में प्राथमिक अधिशेष क्रमशः ₹ 990 करोड़ व ₹ 441 करोड़ देखा गया।

1.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से अनुगामी वर्षों का प्रतिवेदन तैयार करके राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

1.13 निष्कर्ष

राज्य राजस्व घाटे को कम करके शून्य पर लाने के लक्ष्य को बरकरार नहीं रख सका और 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान समस्त तीनों सूचकों अर्थात् राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा व प्राथमिक घाटा में भारी घाटे की अनुभूति हुई।

तथापि, 2015-16 व 2016-17 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष क्रमशः ₹ 1,137 करोड़ व ₹ 920 करोड़ रहा। विगत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष, राजस्व व्यय ₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत) के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,824 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थोड़ा कम रहा।

राजकोषीय घाटा 2015-16 के ₹ 2,165 करोड़ से ₹ 783 करोड़ बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 2,948 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत था जो कि एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित लक्ष्य (3.17 प्रतिशत) व चौदहवें वित्त आयोग के प्रेक्षेपों (तीन प्रतिशत) के अन्तर्गत था। 2015-16 व 2016-17 में प्राथमिक अधिशेष क्रमशः ₹ 990 करोड़ व ₹ 411 करोड़ था।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 26,264 करोड़) गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,824 करोड़ (12 प्रतिशत) बढ़ गईं। केवल 33 प्रतिशत प्राप्तियाँ ही कर व कर-भिन्न राजस्व से युक्त राज्य के अपने संसाधनों से आईं जबकि अधिकांश राजस्व प्राप्तियाँ (67 प्रतिशत) केन्द्रीय अन्तरणों (अर्थात् सहायता अनुदान (50 प्रतिशत) व केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (17 प्रतिशत)) से प्राप्त हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 32,133 करोड़) गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,503 करोड़ (25 प्रतिशत) बढ़ गया। राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 के ₹ 22,303 करोड़ से ₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 25,344 करोड़ हो गया लेकिन 2015-16 में कुल व्यय में इसका अंश (87 प्रतिशत) से घटकर 2016-17 में 79 प्रतिशत हो गया। योजनागत राजस्व व्यय (₹ 4,520 करोड़) गत वर्ष (₹ 3,493 करोड़) की तुलना में ₹ 1,027 करोड़ (29 प्रतिशत) बढ़ गया और विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय का 13 से 18 प्रतिशत रहा। तथापि आयोगनेत्तर राजस्व व्यय 2012-17 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय का 82-87 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतानों, पेंशन व उपदानों पर हुए व्यय ने 2012-17 वर्षों की अवधि में निरन्तर वृद्धि देखी गयी और यह वर्ष 2012-13 के ₹ 12,939 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 17,919 करोड़ हो गया जो कि राजस्व व्यय का औसतन 76 प्रतिशत था। कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अंश 2015-16 के 11.2 प्रतिशत से वर्ष 2016-17 में 10.9 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय पर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2015-16 के 63.53 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 58.81 प्रतिशत हो गयी।

आयोगनेत्तर व्यय का प्रमुख हिस्सा वेतन, ब्याज अदायगी तथा पेंशन में रहता है। वेतन एवं पेंशन दोनों मिलकर राजस्व व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक प्रयोग में लाते हैं। ये बड़े पैमाने पर अपरिहार्य हैं। राज्य सरकार आयोगनेत्तर राजस्व व्यय के संघटकों को नियंत्रित करने हेतु उचित उपाय करें ताकि राज्य परिसम्पत्ति निर्माण एवं निरन्तर विकास हेतु राजस्व अधिशेष बनाया रखा जा सके।

केन्द्र सरकार के निर्णय कि वर्ष 2014-15 से निधियां राज्य के बजट के माध्यम से हस्तांतरित की जाए के बावजूद भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 457.18 करोड़ की निधियां राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की गईं। राज्य में कोई भी अभिकरण ऐसा नहीं है जो इन निधियों से किए गए व्यय का अनुश्रवण करें तथा किसी भी तरह का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो बता सके की इन कार्यकारी अभिकरणों द्वारा वर्ष विशेष में वास्तव में कितना धन खर्च किया गया।

वर्ष 2016-17 के अन्त में कुल ₹ 182.62 करोड़ की निधियाँ 12 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध थीं। चालू वर्ष के अन्त में गत वर्ष की तुलना से 15 प्रतिशत की वृद्धि से ₹ 47,244 करोड़ के (उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित) राजकोषीय दायित्व थे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 38 व राजस्व प्राप्तियों के 180 प्रतिशत थे। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों के अन्तिम शेष का हिस्सा 2012-13 के 57 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 59 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान 36 प्रतिशत उधार पुराने ऋणों को चुकाने में खपे जिससे इन ऋणों के लक्ष्य ही विफल हो गए।

1.14 सिफारिशें

- (i) राज्य सरकार द्वारा कर व कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधारार्थ तथा राजस्व व्यय को नियन्त्रणार्थ प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।
- (ii) निधियाँ जो कोषालयों के माध्यम से न गयी हो, की समुचित लेखाबद्धता के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए व इनकी प्रभावी प्रयुक्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वैधीकृत अद्यतन सूचना होनी चाहिए।
- (iii) राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई की दृष्टि से अपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित पूर्णता हेतु मार्ग दर्शिकाएँ बनानी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई के साथ-साथ समय एवं लागत वृद्धि के कारणों का सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिए।